अनु. क्रमांक	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
.21	पत्रावली पश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दार/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 30/9/21 को पेश हो।	
9)	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रार्थीपक्ष ने दस्तावेजात पेश किये जो शा० मि० रहे। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5.10.21 को पेश हो। ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ	
10-21	पत्रावली पश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दार/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 6/10/21 को पेश हो।	
6/10/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत आज्ञप्ति निष्पादन खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया गया। पत्रावली जाब्ता खारिज से फैसला होकर दर्ज रजिस्टर हो कर फैसला सुनाया तथा बाद तकमील आपता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ	

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 88 / 2017

दायर दिनांक–03–08–2017

1 मोहसिन पुत्र युसुफ जाति मुसलमान धोवी निवासी राधाकिशनपुरा सीकर तहसील सीकर जिला सीकर (राज.)

1.

– आवेदक

बनाम

1. नानची देवी पत्नी मूलचन्द जाति माली निवासी पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. छीतरमल पुत्र श्री धन्नाराम जाति माली निवासी बागोरियां की ढाणी तन् चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
3. रामलाल पुत्र श्री रामेश्वरलाल जाति माली निवासी बागोरियां की ढाणी तन् चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

–अनावेदकगण

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जागीड़
वकील प्रति. नं. :– श्री आनन्दी लाल सैनी

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 06.10.2021

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम बागोरिया की ढाणी में भूमि खसरा नम्बर 2043 / 295 रकबा 1.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 2046 / 301 रकबा 0.77 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.06 हैक्टर स्थित है उक्त आराजी खसरा नम्बर 2043 / 295 रकबा 1.29 हैक्टर वादी की एकल खातेदारी की भूमि है एवं खसरा नम्बर 2046 / 301 रकबा 0.77 हैक्टर वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लागायत 3 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि सम्पदा है जिसमें वादी का हिस्सा 0.38 हैक्टर व प्रतिवादी नम्बर 1 का हिस्सा 0.17 हैक्टर, व प्रतिवादी नम्बर 2 का हिस्सा 0.11 हैक्टर व प्रतिवादी नम्बर 3 का हिस्सा 0.11 हैक्टर है भूमि खसरा नम्बर 2043 / 295 रकबा 1.29 हैक्टर का दावे में कोई विवाद नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 2046 / 301 रकबा 0.77 हैक्टर वादी प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 की अविभाजित कृषि सम्पदा है जिसको दावे में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादग्रस्त आराजी को आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 काश्त करते है एवं मौके पर काबिज है। लेकिन आवेदक सीकर का निवासी है, जो हमेशा अपनी भूमि पर आकर सार–संभाल नहीं कर सकता। अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 आस पास के निवा[illegible]के मन में बेईमानी पैदा हो गयी है व नाजायज रूप से आवेदक के कब्जे काश्त की भूमि को [illegible] है। आवेदक को नाजायज रूप से हैरान व परेशान करते है। वादग्रस्त भूमि [illegible] से अनावेदकगण वादग्रस्त आराजी के निश्चित भू–भाग पर कब्जा करके, बैस किसी [illegible] पर कब्जा करने को आमादा है। जिसका उन्हे कोई भी विधिक अधिकारी नहीं है। संयुक्त खातेदारी की [illegible] के प्रत्येक ईच पर प्रत्येक सहखातेदार का हक व हिस्सा होता है, किसी भी सहहिस्सेदार का ना तो निश्चित भू–भाग पर कब्जा करने का अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:06 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

7

होता है ना ही निश्चित भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य करने का पेड पौधे काटने का अधिकार होता है। एवं किसी भी सहहिस्सेदार को ऐसा कोई कार्य करने का अधिकार नहीं होता है जो खातेदारी शर्तो के विपरीत हो और दूसरे सहहिस्सेदार के हित पर विपरीत प्रभाव पडता हो अर्थात संयुक्त खातेदारी भूमि को किसी भी खातेदार को व्ययन करने का अधिकार नहीं होता है इसके बावजुद भी अनावेदकगण उक्त विधि विरूद्ध करने को आमादा है। इसलिए उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2046/301 रकबा 0.77 हैक्टर का आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 के हिस्सेनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से विधिवत विभाजन किया जाकर आवेदक के हिस्से की भूमि की अलग से सीमा व लगान कायम की जाकर आवेदक को उसके हिस्से में आई भूमि का स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है जिसके लिए उक्त वाद श्रीमान्जी की सेवामें पेश है।

अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 बदमास किस्म के व्यक्ति है जो शामलाती खातेदारी का नाजायज आड़ लेकर हिस्से व सिमाओं का विवाद करते है आवेदक अपनी खातेदारी कृषि भूमि को कास्त करने व सम्भालने के लिए सीकर से आता है। अनावेदकगण वाहीं आस–पास रहते है। अनावेदकगण आवेदक की अनुपस्थिति मे आवेदक की खातेदारी भूमि पर कहीं भी खाई बाड कर देते है तथा अब अनावेदकगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर जगह–जगह निर्माण करने का षड़यंत्र भी बना रहे है। दिनांक 01.08.2017 को आवेदक अपनी खातेदारी हक अधिकारों की उपरोक्त भूमि को सम्भालने गया जो देखा कि अनावेदकगण ने मौके पर निर्माण सामग्री डलवा रखी थी तथा आवेदक के वहां जाने पर धमकी दी कि हम रोड की तरफ सम्पूर्ण जगह पर निर्माण कार्य करेगें। आवेदक ने मना किया तो अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 3 व उसके परिवार जनों ने कहा कि तुम्हारी अनुपस्थिति में हम रातो रात निर्माण कार्य कर लेगें। फिर भी कोई अवरोध आयेगा तो तुम्हारी कब्जेशुदा भूमि को अपनी बताकर किसी बदमास आदमी को बेच देगें। अनावेदकगण को ऐसा कोई कार्य का अधिकारी नहीं जो खातेदारी अधिकारों की शर्तो के विपरित हो व वादग्रस्त आराजी को नुकसान पहूचाता हो इसके बावजूद भी अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 उक्त विधि विरूद्ध कार्य करने पर आमाद हो रहे है इसलिए अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाना आवश्यक है।

आवेदक वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा वादग्रसत आराजी राजस्व रिकार्ड में अविभाजित रूप से दर्ज है। इसलिए आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 वादग्रसत आराजी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जो अपने हिस्से की मुताबिक विधि अनुसार विभाजन करवाकर अपने हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग करते है, तो अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती है इसलिए सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है यदि अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 अपनी नाजायज मंशा में सफल होकर विधि विरूद्ध कार्य करके वादग्रस्त आराजी को वेस्ट व डेमेज कर देगें, व किसी भी प्रकार से वादग्रस्त आराजी का व्ययन कर देगे तो आवेदक को इतना नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं होगी। इसलिए अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है जिसके लिए उक्त वाद श्रीमान् जी की सेवामें पेश है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा है कि अनावेदकगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जावे कि दौराने मूल वाद ग्राम बागोरिया की ढाणी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2046/301 रकबा 0.77 हैक्टर में आवेदक के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी पैदा नहीं करें, व उक्त आराजी के किसी भी भू–भाग पर कच्चा–पक्का निर्माण कार्य कर निश्चित भू–भाग पर कब्जा नहीं करें, व पेड–पौधे काटकर किसी प्रकार से नुकसान कारित नहीं करें, अर्थात अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 ऐसा कोई भी कार्य नहीं करे जिससे उक्त आराजी का व्ययन हो। दौराने मूल वाद उक्त आराजी रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:06 IST
Reason: SelfAttested

म.सा. दे एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री आनन्दी लाल सैनी उपस्थित हुये।

अनावेदक नम्बर 01 लगायत 03 की ओर से जावाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मद संख्या 1 प्रार्थना पत्र में केवल दावा पेश करना स्वीकार है बाकी कथन जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने के कारण अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित स्थित होना एवं आवेदक के द्वारा वाद पत्र में अंकित हिस्सा होना स्वीकार है व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 हिस्से के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार है एवं हिस्से के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं है।

प्रार्थना पत्र की धारा 3 में आवेदक व अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 3 द्वारा काश्त किया जाना एवं मौके पर काबिज होना स्वीकार है शेष कथन जिस प्रकार दर्ज है गलत एवं अस्वीकार है आवेदक व अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 3 रिकार्ड के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 2046/301 रकबा 0.77 हैक्टर में 0.38 हैक्टर में आवेदकगण का 0.17 हैक्टर हिस्सा एवं अनावेदक नम्बर 1 का , अनावेदक नम्बर 2 का 0.11 हैक्टर हिस्सा–अनावेदक नम्बर 3 का 0.11 हैक्टर हिस्सा है इसी अनुसार मौके पर काबिज है और काश्त करते है हिस्से को लेकर कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है भूमि खसरा नम्बर 2046/301 को मौके पर कब्जे व काश्त के अनुसार रिकार्ड के अनुसार विभाजन किया जाता है तो जबाबदेहन्दा को कोई आपति नहीं है। जबाबदेहन्दा विभाजन करवाने के लिए हमेशा तैयार है।

प्रार्थना पत्र की धारा 4 जिस प्रकार से दर्ज है गलत है अस्वीकार है आवेदक का यह कथन निराधार है कि जबाबदेहन्दा सीमा को लेकर विवाद करते है एवं आवेदक की भूमि पर निर्माण करने के लिए षडयन्त्र बना रहे है आवेदक व जबाबदेहन्दा का हिस्सा रिकार्ड के अनुसार अलग–अलग है जिस पर सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज है तो किसी प्रकार का विवाद होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है आवेदक इस दावे की आड में जबाबदेहन्दा की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को हडपना चाहता है इसलिए मिथ्या कथन अंकित कर यह दावा प्रस्तुत किया है आवेदक, जबाबदेहन्दा के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रार्थना पत्र की धारा 5 जिस प्रकार से दर्ज है गलत एवं अस्वीकार है भूमि खसरा नम्बर 2046/301 रकबा 0.77 हैक्टर में रिकार्ड के अनुसार तथा कब्जे एवं काश्त के अनुसार भूमि को विभाजन किया जाता है तो जबाबदेहान्दा को कोई आपति नहीं है क्योंकि आवेदक के हिस्से की भूमि 0.38 हैक्टर, जबाबदेहान्दा की भूमि से अलग बंटी हुयी है इसलिए आवेदक को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है। प्रार्थना पत्र की धारा 6 व 7 कानूनी होने से स्वीकार किया गया है।

भूमि खसरा नम्बर 2046/301 कुल रकबा 0.77 हैक्टर जिसमें आवेदक का 0.38 हैक्टर, अनावेदक नम्बर 1 का 0.11 हैक्टर अनावेदक नम्बर 2 को 0.11 हैक्टर एवं अनावेदक नम्बर 0.11 हैक्टर हिस्सा है इसी अनुसार मौके पर काबिज है एवं कब्जा काश्त है रिकार्ड एवं कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन कर आवेदक व जबाबदेहान्दा के हिस्से अलग–अलग किये जाते है तो जबाबदेहन्दा को कोई आपति नही है लेकिन जबाबदेहन्दा के विरूद्ध आवेदक किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता वैसे भी कानूनन एक सहकाश्तकार अपने सह काश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र मय खर्चे व हर्जे सहित खारिज फरमाया जावें।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को तथा वकील अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:37:06 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. टू.)
नसलगढ

हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– वादी द्वारा वाद–पत्र में विधिवत विभाजन की इस्तदुआ चाही है तथा अपने आपको स्वतंत्र काश्तकार खातेदार घोषित भी करवाना चाहता है। वाद–पत्र में वादी एवं प्रतिवादीगण दोनो पक्षकारान इस तथ्य को स्वीकार करते है कि विवादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 2046/301 रकबा 0.77 हैक्टर में वादी का हिस्सा 0.38 हैक्टर, व प्रतिवादी नम्बर 1 का हिस्सा 0.17 हैक्टर, प्रतिवादी नम्बर 2 का हिस्सा 0.11 हैक्टर, प्रतिवादी नम्बर 3 का हिस्सा 0.11 हैक्टर है। प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के सहखातेदार है तथा सह खातेदारी भूमि में सभी सह खातेदारों का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। मूल वाद में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 द्वारा विभाजन की इस्तदुआ चाहने व सहमति होने पर प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नही है।
2. **सुविधा का संतुलन** :– मूल वाद प्राथमिक डिक्री होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है।
3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रार्थी व अप्रार्थीगण सह खातेदार होने तथा मूल वाद प्राथमिक डिक्री होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:06 IST
Reason: SelfAttested